राजस्थान सरकार
वित्त विभाग
(सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम अनुभाग)

क्रमांक : प.6(1)वित्त/साविलेनि/2005 पार्ट--।   जयपुर, दिनांक : 02.04.2018

परिपत्र

विषय : **अनुपयोगी/नाकारा स्टोर्स निस्तारण अभियान।**

राजकीय विभागों में उपलब्ध बेशी/अनुपयोगी/अप्रचलित सामान का नियमित निस्तारण किया जाना चाहिये परंतु कई कार्यालयों में बेशी/अनुपयोगी स्टोर्स का वार्षिक निस्तारण नहीं किये जाने से ऐसी सामग्री कार्यालयों/विभागों में बेकार पड़ी हुई रहती है। 'स्वच्छ कार्यालय' के लिए भी ऐसी सामग्री का त्वरित निस्तारण अपेक्षित है। **अतः राज्य सरकार द्वारा समस्त राजकीय विभागों/स्वायत्तशासी संस्थाओं/कंपनियों/बोर्ड्स आदि में अनुपयोगी/नाकारा स्टोर्स के निस्तारण का अभियान चलाए जाने का निर्णय लिया गया है।**

सभी प्रशासनिक विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ सभी विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष इस अवधि में समस्त नाकारा सामग्री/वाहनों आदि का नियमानुसार निस्तारण अवश्य कर दें।

पूर्व में अनुपयोगी स्टोर्स निस्तारण हेतु परिपत्र संख्या 11/2011 दिनांक 24.06.2011 एवं परिपत्र संख्या 7/2014 दिनांक 04.07.2014 द्वारा निर्देश जारी किये जाकर नियमों में शिथिलन प्रदत्त किये गए थे। अनुपयोगी सामग्री के निस्तारण हेतु सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग--।। के नियम 16 से 27 में प्रक्रिया एवं सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।।। के भाग–। के आईटम 11 में शक्तियां उल्लिखित हैं। नाकारा सामग्री के निस्तारण हेतु गठित की जाने वाली कमेटियों बाबत् परिपत्र संख्या 4/2016 दिनांक 22.02.2016 एवं इस हेतु प्रदत्त वित्तीय शक्तियों में परिपत्र संख्या 11/2015 दिनांक 06.08.2015 के माध्यम से संशोधन किये जाकर नियमों को सुगम/सरल बनाया जा चुका है। फिर भी, अभियान अवधि के लिए इन नियमों में निम्नानुसार शिथिलन प्रदान किया जाता है :

GF&AR Part-II : Rule 18. Committee for Inspection/Survey :

'(ii) In case of article valuing Rs. 10.00 lacs and above, the committee for inspection shall consist of a senior Gazetted Officer, Accounts Officer (or above) and a technical officer having knowledge of such articles.'

Rule 22 : The Committees for disposal shall comprise of :

(i) The existing words and figures 'Rs. 5 lacs' appearing in item A of sub-rule (1) of Rule 22 is relaxed for the words and figures 'Rs. 10 lacs'.

(ii) The existing words and figures 'Rs. 5 lacs' appearing in item B of sub-rule (1) of Rule 22 is relaxed for the words and figures 'Rs. 10 lacs'.

.....2

GF&AR Part-III : (Delegation of Financial Powers) Part-I Item 11(c) Vehicles :

'Where the vehicle has not covered the prescribed minimum road kilometers or prescribed minimum years, the norms are now relaxed that if any one of these two norms (minimum kms. and minimum years) is not being fulfilled, the vehicle may be declared condemned by the Head of Department on the recommendation of the committee on the ground of vehicle being uneconomical to run.

Head of Department : Full Powers on the recommendation of committee.'

अन्य महत्वपूर्ण निर्देश :

1. वाहनों एवं उनके पार्ट्स आदि को जिलेवार ही नाकारा घोषित करते हुए नियमानुसार जिलास्तर पर ही नीलामी कार्यवाही की जावे। इस बाबत् सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 22 में दिनांक 22.2.2016 को संशोधन किया जा चुका है।

2. मोटर वाहन नियमानुसार नीलाम करने के पश्चात् replacement में नया वाहन लेने की अनुमति वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग से नियमानुसार दी जा सकेगी।

3. नियमों में दिनांक 22.02.2016 को हुए संशोधन उपरांत टाइपराइटर्स को भी अन्य सामान के साथ नीलाम किया जा सकता है।

4. **इस अभियान की मॉनीटरिंग के लिए प्रत्येक विभागाध्यक्ष अपने यहां पदस्थापित वित्तीय सलाहकार/वरिष्ठतम लेखाधिकारी को 'नॉडल ऑफिसर' नियुक्त करेंगे।** ऐसे आदेश की प्रति प्रशासनिक विभाग एवं वित्त (जीएण्डटी) विभाग को भेजी जाएगी।

5. अभियान अवधि में नीलामी से प्राप्त राजस्व की सूचना सभी कार्यालय अपने विभागाध्यक्ष को प्रतिमाह भेजेंगे। समस्त विभागाध्यक्ष यह सूचना संकलित कर निदेशक, निरीक्षण विभाग को मासिक रूप से प्रेषित करेंगे।

6. निदेशक, निरीक्षण विभाग सभी विभागाध्यक्षों से अभियान अवधि में प्राप्त नीलामी से आय की मासिक सूचना संकलित कर वित्त (जीएण्डटी) विभाग को भेजेंगे।

7. नीलामी से प्राप्त राजस्व का 50 प्रतिशत तक अतिरिक्त बजट आवंटन कार्यालयों/विभागों के modernisation, furniture, equipments आदि के लिये आवश्यकतानुसार किया जा सकेगा। इसके लिए प्रस्ताव वित्त (व्यय) विभाग को प्रशासनिक विभाग के माध्यम से भिजाए जाएं।

8. विभाग के अधीन प्रत्येक कार्यालय में नाकारा सामग्री का निस्तारण इसी अभियान अवधि में हो, वित्तीय सलाहकार (नॉडल ऑफिसर) यह सुनिश्चित करेंगे। इसके लिए अभियान के प्रारंभ में ही वे अधीनस्थ कार्यालयों के संबंधित कार्मिकों की orientation meeting कर उन्हें नियमों/प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी देंगे। नॉडल ऑफिसर का दायित्व होगा कि वे अधीनस्थ कार्यालयों की समस्याओं/शंकाओं का त्वरित समाधान करे और आवश्यकता होने पर वित्त विभाग से परामर्श प्राप्त करे।

....3

9. सभी जिला कलक्टर जिले के राजस्व/जिलास्तरीय अधिकारियों की मासिक समीक्षा बैठक में एक एजेंडा 'नाकारा सामग्री निस्तारण अभियान' बाबत् भी रखेंगे एवं प्रगति की समीक्षा करेंगे। इस बाबत् वे आवश्यकतानुसार जिला कोषाधिकारी का सहयोग ले सकेंगे।

10. विभागाध्यक्षों के यहां कार्यरत आंतरिक जांच दलों एवं निरीक्षण विभाग के जांच दलों (Audit parties) का दायित्व होगा कि वे अपनी रिपोर्ट में इस अभियान अवधि में हुई नाकारा सामग्री निस्तारण एवं प्राप्त राजस्व का विशेष उल्लेख करें।

11. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम भाग–।। के नियम 22 के क्रम में नीलामी समितियों में प्रतिनिधित्व हेतु आग्रह प्राप्त होने पर अविलंब आवश्यक कार्यवाही करेंगे। विभागीय अधिकारियों को नीलामी नियमों–प्रक्रिया बाबत् कोई समस्या/शंका हो तो उस बाबत् आवश्यक परामर्श वे कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी से भी प्राप्त कर सकते हैं।

12. नाकारा सामग्री निस्तारण संबंधी अद्यतन नियम (साविलेनि भाग–।। नियम 16 से 27 एवं साविलेनि भाग–।।। के भाग–। के आइटम संख्या 11) एवं संदर्भित परिपत्र आदि वित्त विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध हैं।

13. **सभी प्रशासनिक सचिवगण से अनुरोध है कि इस अभियान के सफल संचालन हेतु अपने अधीन विभागों को उचित निर्देश प्रदान करते हुए उसकी प्रति वित्त (जीएण्डटी) विभाग को भी प्रेषित करावें।**

अभियान अवधि 30 जून, 2018 तक रहेगी।

(मंजू राजपाल)
शासन सचिव वित्त (बजट)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, आवश्यक कार्यवाही एवं अपने अधीनस्थ कार्यालयों को सूचित करने हेतु प्रेषित है :

1. निजी सचिव, राज्यपाल/मुख्यमंत्री/समस्त मंत्रीगण/राज्य मंत्रीगण ।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव/समस्त अति.मुख्य सचिव/ समस्त प्रमुख शासन सचिव/समस्त शासन सचिव/ समस्त विशिष्ट शासन सचिव को उनके अधीनस्थ विभागों एवं उपक्रमों में लागू करवाने हेतु।
3. सचिव, राजस्थान विधान सभा, राजस्थान, जयपुर । 4. पंजीयक, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर/जयपुर ।
5. सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, राजस्थान, जयपुर । 6. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर ।
7. समस्त संयुक्त/उप शासन सचिव/सचिवालय के समस्त अनुभाग/विभाग।
8. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (अंकेक्षण)/निदेशक, निरीक्षण विभाग को प्रेषित कर लेख है कि इस संबंध में पालना रिपोर्ट से अवगत कराने का श्रम करावें।
9. प्रधान महालेखाकार (सिविल लेखा परीक्षा) राजस्थान, जयपुर ।
10. महालेखाकार (प्राप्ति एवं वाणिज्यिक लेखा परीक्षा)/(ए एण्ड ई) राजस्थान, जयपुर ।
11. समस्त विभागाध्यक्ष/जिला कलक्टर/संभागीय आयुक्त ।
12. समस्त वित्तीय सलाहकार/मुख्य लेखाधिकारी समस्त विभाग।
13. निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग, राजस्थान, जयपुर । 14. समस्त कोषाधिकारी/उपकोषाधिकारी।
15. कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग (कोडीफिकेशन) अतिरिक्त प्रति सहित ।
16. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर ।
17. अतिरिक्त निदेशक, वित्त विभाग कृपया इस परिपत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर प्रकाशित करावें।

(उषस्पति त्रिपाठी)
शासन संयुक्त सचिव

(GF&AR -05/2018)